न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास भंवरलाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 25/2012/(2011/00061) जिला–नागौर

आबिद अहमद पुत्र नूर खां जाति मुसलमान, निवासी मेड़तासिटी तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

–––अपीलार्थी

बनाम

1. धनराज पुत्र रामलाल जाति रेगर निवासी डांगावास तहसील मेड़ता जिला नागौर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मेड़ता जिला नागौर।

––––प्रत्यर्थीगण

–––

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर नागौर
दिनांक 12.10.2011 अन्तर्गत अपील संख्या 51/2011
बउनवान आबिद अहमद बनाम धनराज व अन्य

––––

उपस्थित– 1. श्री सहदेव चौधरी अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री भीयाराम चौधरी, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1

निर्णय

दिनांकः– 25–7–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मेड़ता जिला नागौर में स्थित विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 1742 रकबा 22.8 बीघा के 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार अपीलार्थी के पिता नूर खां पुत्र घासी खां एवं शेष 1/2 हिस्से के खातेदार नूर खां पुत्र घासी खां एवं शेष 1/2 हिस्से का खातेदार नसीर खां पुत्र कासम खां था। नसीर खां ने सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि को गैर कानूनी रूप से प्रत्यर्थी संख्या 1 धनराज के पिता रामलाल को बेचान कर दी जिसके आधार पर 25 वर्ष पश्चात् नामान्तकरण सं0 1406 दिनांक 31–03–1983 प्रत्यर्थी सं0 2 ने स्वीकृत कर दिया। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध धारा 75 एल.आर. एक्ट के तहत प्रथम अपील जिला कलक्टर नागौर के न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर निर्णय दिनांक 12–10–2011 द्वारा खारिज कर दी गई। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश/निर्णय क्रमशः 31–03–1983 एवं 12–10–2011 तथ्यों, साक्ष्यों एवं राजस्व रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 1742 रकबा 22.8 बीघा के 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार अपीलार्थी के पिता नूर खां पुत्र घासी खां एवं शेष 1/2 हिस्से के खातेदार नूर खां पुत्र घासी खां एवं शेष 1/2 हिस्से का खातेदार नसीर खां पुत्र कासम खां थे। नसीर खां ने सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि को गैर कानूनी रूप से प्रत्यर्थी संख्या 1 धनराज के पिता रामलाल को बेचान कर दी। वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से के सहखातेदार नसीर खां पुत्र कासम खां को सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि बेचान करने का कानूनी अधिकार प्राप्त ही नहीं था। नामान्तकरण सं0 1406 दिनांक 31–03–1983 सम्पूर्ण भूमि बाबत स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। इसके उपरान्त भी प्रथम अपील को सरसरी तौर पर खारिज करने का फैसला दिनांक 12–10–2011 निरस्त किये जाने योग्य है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायलय द्वारा प्रथम अपील को मात्र इस आधार पर निरस्त किया है कि ''विवादित भूमि पर अपीलार्थी के पिता नूर खां का कब्जा काश्त कभी नहीं रहा है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16–06–1958 के आधार पर कब्जाकर्ता का मौके पर पाया गया तथा विक्रय पत्र दिनांक 16–06–1958 को निरस्त करवाने को चुनौती दी जानी थी।'' जबकि सर्वविदित है कि वादग्रस्त भूमि पर सभी सहखातेदारान का कब्जा काश्त माना जाता है तथा एक सह खातेदार को दूसरे सह खातेदार की भूमि बेचान करने का अधिकार नहीं है तथा एक सहखातेदार सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि का बेचान कर देते है तो ऐसा विक्रय पत्र प्रभावशून्य होता है जिसको निरस्त कराने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार विक्रय पत्र दिनांक 16–06–1958 प्रभावशून्य दस्तावेज है जिसके आधार पर नामान्तरकरण सं0 1406 कानूनन स्वीकृत ही नहीं किया जा सकता है। उक्त महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु के आधार पर ही अपीलाधीन निर्णय 12–10–2011 एवं नामान्तकरण सं0 1406 दिनांक 31–03–1983 निरस्त किये जाने योग्य है।

उन्होनें यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि प्रभावशून्य बेचान पत्र दिनांक 16–05–1958 के आधार पर विवादास्पद नामान्तरकरण सं0 1406 प्रत्यर्थी सं0 1 के पिता रामलाल के पक्ष में दिनांक 01–02–1983 को भरा गया जिसके कॉलम सं0 16 में यह तहरीर किया गया कि नसीर खां एवं नूर खां ने सारी भूमि बेचान की है जिसके आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किया जावे जबकि अपीलार्थी के पिता नूर खां द्वारा अपने 1/2 हिस्से की वादग्रस्त भूमि का बेचान ही नहीं किया गया। विक्रय पत्र दिनांक 16.06.1958 में भी नूर खां द्वारा बेचान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

नामान्तरकरण सं0 1406 एकदम झूठे तथ्यों के आधार पर भरा गया जिसको कानूनी रूप से प्रत्यर्थी सं0 2 द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। उक्त नामान्तरण सं0 1406 के कॉलम संख्या 16 में भरे गये तथ्यों को भी अपीलीय न्यायालय ने नजरअन्दाज कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12–10–2011 पारित कर दिया है। वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से के सह खातेदार नसीर खां ने प्रभावशून्य विक्रय पत्र दिनांक 16–06–1958 के द्वारा सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि प्रत्यर्थी सं0 1 के पिता रामलाल को बेचान कर दी जिसके 25 वर्ष पश्चात् विवादास्पद नामान्तरण भरा गया है जिसमे भी अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है जबकि वादग्रस्त आराजीयात के 1/2 हिस्से पर अपीलार्थी बतौर काबिज काश्त कर रहा है। अपीलार्थी की सुनवाई नही कर अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया जो प्राकृति न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12–10–2011 एवं तहसीलदार मेडता द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण सं0 1406 दिनांक 31–03–1983 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस के जवाब में प्रत्यर्थी संख्या–1 के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता के पक्ष में दिनांक 16–06–1958 को किये गये विक्रय पत्र को प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा आज दिनांक तक किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। जब तक उक्त विक्रय पत्र सक्षम न्यायालय द्वारा शून्य व अवैध घोषित नहीं कर दिया जाता तब तक उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर प्रत्यर्थी के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 1406 को निरस्त नहीं किया जा सकता है। विवादग्रस्त आराजियात पर अपीलार्थी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा। नामान्तकरण सं0 1406 दिनांक 31–03–1983 एवं जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12–10–2011 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रय पत्र दिनांक 16–06–1958 से नामान्तरकरण सं0 1406 दिनांक 31–03–1983 लगभग 25 वर्ष पश्चात् स्वीकृत किया गया है तथा प्रकरण से संबंधित आज के राजस्व रेकार्ड एवं अपीलार्थी/प्रत्यर्थीगण के वारिसान की जानकारी भी रेकार्ड की भी स्थिति स्पष्ट नहीं होकर पत्रावली में भी उपलब्ध नहीं है। नामान्तरकरण कार्यवाही एक फिस्कल कार्यवाही है जिसमें किसी के हक हकूकों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी ने सक्षम न्यायालय में राजस्व वाद भी इस संबंध में अनुतोष हेतु दायर नहीं किया है। विक्रय पत्र दिनांक 16–06–1958 एक पंजीकृत दस्जावेज है जिसको भी आज दिनांक तक अपीलार्थी द्वारा सक्षम स्तर पर निरस्त करवाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की है। नामान्तरकरण सं0 1406 दिनांक 31–03–1983 को

वर्ष 2011 में लगभग 28 वर्ष पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चुनौती प्रदान की गई है जो न्याय पाने की मंशा के विपरीत ही प्रतीत होती है।

यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि विक्रय पत्र में विवादग्रस्त आराजियात के विक्रय पत्र दिनांक 16–06–1958 के आधार पर विवादास्पद नामान्तरकरण सं0 1406 प्रत्यर्थी सं0 1 के पिता रामलाल के पक्ष में दिनांक 01–02–1983 को भरा गया जिसके कॉलम सं0 16 में यह तहरीर किया गया कि नसीर खां नूर खां ने अपनी भूमि जरिये रजिस्ट्री सं0 400/– दिनांक 16–06–1958 को बही नं0 1 जिल्द सं0 ।।। जफा नं0 301–302 सिलसिला नं0 198 पर दर्ज होने कब्जा के आधार पर नामांतरकरण पटवारी द्वारा भरकर सक्षम अधिकारी द्वारा मौके व कब्जा काश्त की स्थिति जांच कर विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है जिसका बहुत अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त अपीलीय न्यायलय में चुनौती दी गई है।

प्रकरण के उक्त सभी पहलुओं पर विचार करने पर यह उचित प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को अपने हक हकूकों के लिए सक्षम न्यायालय में विक्रय पत्र दिनांक 16–06–1958 को निरस्त कराना चाहिए था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12–10–2011 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12–10–2011 अन्तर्गत अपील संख्या 51/2011 बउनवान आबिद अहमद बनाम धनराज व अन्य विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25–7–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर